फर्द अहकाम

नरेन्द्र कौ० बनाम रोहित कुमार वगैरा

न्यायालय A D M - III

संख्या 34/2018

क्रमांक	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	टिप्पणी विस्तार
	11.7.25	पत्रावली पेश हुई। अधि० वादी निगरानीकार उपस्थित। अनु० निगरानीकार की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अधि० वादी बहस करना चाहते हैं। पूर्व में कोर्ट समय दिये गये हैं। मुक्त नमापरिह से एक अंतिम अवसर दिया जाता है। यदि उपस्थित हो० पक्ष बहस नहीं करेंगे तो प्रकरण गुणावगुण पर निस्तारित कर दिया जावेगा। पश्चा० दिनांक 15.7.25 को पेश हो।	
		अतिरिक्त कलेक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर	
	15.7.25	पत्रावली पेश हुई। अधि० निगरानीकार अनु० और निग० की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आज अभिभाषक संघ हाय कार्य स्थगित किया गया है। पश्चा० दि० 16.7.25 को पेश हो।	
		अतिरिक्त कलेक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर	
	16.7.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता निगरानीकार को आज बार बार लगाई गई कार्यवाही अनुपस्थित। पिछली तारीखों पर भी अनुपस्थित रहे हैं। बहस हेतु पत्रावली दीपत थी। अनु० की स्थिति की स्थिति से प्रतीत होता है कि निगरानीकार अधिवक्ता प्रकरण में रुची नहीं रखते हैं। ऐसी स्थिति में अगले तक बहस अनुपस्थित रहने पर सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 9 नियम 3 के अन्तर्गत निगरानीकार की निगरानी खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तकमील तरमीम दाखिल दफ्तर हो।	
		अतिरिक्त कलेक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर	